निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 09/2023 (रसद अपील)

मैसर्स श्रीमती रूकमणी देवी चौधरी पत्नी श्री हरिमोहन चौधरी निवासी ग्राम टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान उचित मूल्य दुकान ग्राम दौपुर तहसील बस्सी जयपुर पोस कोड संख्या 14099 व लाईसेन्स नम्बर 184/2012

अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय, जयपुर ।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत खण्ड 22 (1) (2) राजस्थान खाद्यान्न एंव आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 विरूद्व आदेश जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के प्रकरण संख्या 04/2022 जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम दौपुर तहसील बस्सी का प्राधिकार पत्र निर्णय दिनांक 07.09.2020 से निरस्त कर धरोहर राशि जब्त सरकार करने के आदेश पारित किया गया।

उपस्थित :-

1. श्री हरिशंकर चौधरी अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।
2. पैरोकार रसद प्रत्यर्थी की ओर से ।

निर्णय — दिनांक 01.08.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी मैसर्स श्रीमती रूकमणी देवी चौधरी पत्नी श्री हरिमोहन चौधरी निवासी ग्राम टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान उचित मूल्य दुकान ग्राम दौपुर तहसील बस्सी जयपुर पोस कोड संख्या 14099 का प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के निर्णय दिनांक 07.09.2020 से निरस्त कर धरोहर राशि 1000/-रूपये जब्त सरकार करने के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को नोटिस जारी किया गया। तहत रिकार्ड तलब किया गया है। प्रत्यर्थी की ओर पैरोकार रसद उपस्थित है। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी मैसर्स श्रीमती रूकमणी देवी चौधरी पत्नी श्री हरिमोहन चौधरी निवासी ग्राम टहटडा तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान उचित मूल्य

जिला कलक्टर
जयपुर

दुकान नाम दीपू [illegible] [illegible] जयपुर का प्राधिकारपत्रधारक दुकानदार है जिसे राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 (जिसे तत्पश्चात आदेश 1976 कहा गया है) के प्रावधानों के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 134/2012 मिला हुआ है। अपीलार्थी उक्त आदेश 1976 एवं प्राधिकार पत्र की शर्तों व निबन्धनों तथा केन्द्रीय व राज्य सरकार के अधिसूचित आदेशों एवं सक्षम अधिकारियों के निर्देशानुसार खाद्यान्न व अन्य आवश्यक पदार्थ, जो विभिन्न योजनाओं के तहत अपीलार्थी को राज्य सरकार से प्राप्त होते हैं, का वितरण राशनकार्डधारक यूनिट रजिस्टर में दर्ज उपभोक्ताओं को आधार कार्ड पर पोस ट्रान्जेक्शन के जरिये करता आ रहा है। अपीलार्थी के विरूद्ध दिनांक 15.11.2019, 19.11.2019 व 22.01.2020 को जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के द्वारा जांच टीम गठित कर प्रवर्तन अधिकारियों से रिपोर्ट दिनांक 23.01.2020 को अंतरिम जांच रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात अपीलार्थी प्राधिकार पत्र धारक के खिलाफ उचित मूल्य की दुकान का नाम, पता, सूची बोर्ड का प्रदर्शन नहीं किया जाना व स्वीकृत स्थान पर रसद सामग्री का वितरण करना नहीं मानते हुये उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करने के आधार पर अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रवर्तन अधिकारियों के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसके आधार पर प्राधिकार पत्र धारक को उसी दिनांक 23.01.2020 को अग्रिम आदेश तक के लिए प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया था। रेस्पोंडेन्ट द्वारा जब राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 18.10.2017 के अनुसार अंतरिम जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने के पश्चात 90 दिवस की अवधि तक ही अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलम्बित रखा जा सकता है। उक्त समयावधि के भीतर ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध प्रकरण का अन्तिम निस्तारण किया जाना कानूनन आवश्यक होता है। रेस्पोंडेन्ट के द्वारा उक्त विभागीय आदेश के तहत जब प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध 90 दिवस की समयावधि समाप्त हो जाने के पश्चात भी जब कोई जांच रिपोर्ट नियमानुसार प्रस्तुत नहीं की गई थी। रेस्पोंडेन्ट के द्वारा उक्त विभागीय आदेश दिनांक 18.10.2017 के तहत प्राधिकार पत्र धारक के विरूद्ध शिकायत मिलने पर उक्त आदेश के तहत 90 दिवस की समयावधि में जब कोई जांच रिपोर्ट अपीलार्थी के विरूद्ध पेश नहीं की गई ना ही अपीलार्थी का उक्त आदेश के तहत प्राधिकार पत्र नियमानुसार बहाल नहीं किया गया तो अपीलान्ट की ओर से माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट पीटीशन संख्या 7927/2020 दायर की गई थी। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.10.2017 के अनुसार प्राधिकार पत्र धारक का निलम्बन निरस्त करते हुये रेस्पोंडेन्ट द्वारा जारी आदेश दिनांक 23.01.2020 को स्थगित घोषित किया गया था जिसके तत्पश्चात पुनः रेस्पोंडेन्ट के द्वारा दिनांक 18.08.2020 को आदेश जारी कर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया

जिला कलक्टर
जयपुर

गया था तथा उक्त मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण विचाराधीन होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट के द्वारा दिनांक 22.06.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर जबकि उक्त जांच रिपोर्ट राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.10.2017 के विरूद्व पेश होने के बावजूद भी उक्त गैर कानूनी प्रकिया के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 05.08.2020 को नोटिस जारी कर उक्त जांच रिपोर्ट के सन्दर्भ में अपना जवाब पेश करने के लिए दिनांक 14.08.2020 के लिए सूचित किया गया। जिस पर अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 18.08.2020 को अपना जबाब प्रस्तुत कर रेस्पोडेन्ट से निवेदन किया गया था कि जांच दल के द्वारा दिनांक 05.11.2019, 19.11.2019 व 22.01.2020 को कभी भी उपरोक्त वर्णित जांच अधिकारी अपीलार्थी की दुकान पर आकर किसी तरह की कोई जांच की कार्यवाही बिना उभोक्ताओं के बयानों के आधार पर अपने द्वारा पूर्व में तैयार की गई अंतरिम जांच रिपोर्ट दिनांक 23.01.2020 के तथ्यों के विरूद्व जाकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि समाप्त होने के पचात गैर कानूनी प्रावधानों के तहत झूंठे तथ्यों के आधार पर तैयार करते हुए पेश की गई है जो लेशमात्र भी कानून सम्मत व सत्यता पर आधारित नहीं है। रेस्पोडेन्ट के समक्ष अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब व दस्तावेजात की कानून सम्मत विवेचना किये बगैर व राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.10.2017 के प्रावधानों की अवहेलना करते हुये तथा प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट संख्या 7827/2020 के तहत विचाराधीन होने के बावजूद भी कानूनी प्रावधानों की अवहेलना करते हुये नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरीत जा कर विधि विरूद्व पेश की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का दिनांक 07.09.2020 को गैर कानूनी जांच रिपोर्ट के आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त करने बाबत आदेश दिनांक 07.09.2020 को पारित किया गया। उक्त अपीलगत आदेश पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, कानूनी प्रावधानों व नैसर्गिक सिद्वान्तो के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपीलार्थी के विरूद्व राज्य सरकार के आदेश दिनांक 18.10.2017 के प्रावधानों के विरूद्व जांच दल गठित कर तैयार करवाई गई उक्त जांच रिपोर्ट में जिन उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी द्वारा तैयार की गई थी। उक्त जांच रिपोर्ट में अंकित उपभोक्ता कानाराम पुत्र मोहन लाल(मृतक दिनांक 19.07.2016) बाबूलाल कोली पुत्र भौरी लाल (मृतक दिनांक 07.08.2014) मूलचन्द महावर पुत्र स्वर्ण (मृतक दिनांक 19.02.2018) व मोहन लाल कोली पुत्र पूराराम (मृतक दिनांक 01.05.2014) के सन्दर्भ में भी उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2020 को रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश की गइ थी। जिसके सन्दर्भ में अपीलार्थी की ओर से विस्तृत जबाब

जिला कलक्टर
जयपुर

मय दस्तावेज के प्रस्तुत कर दिया गया था तथा रेस्पोडेन्ट को यह भी अवगत करवा दिया गया था कि इसके सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। इसके बावजूद भी रेस्पोडेन्ट ने उक्त गैर कानूनी प्रक्रिया के के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी के विरूद्व दिनांक 17.08.2020 को झूंठे तथ्यों के अधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करवाई गई जिस पर बाद अनुसंधान, अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में वर्णित सम्पूर्ण उपभोक्ताओं के बयान लेखबद्व करने के पश्चात जब किसी भी उपभोक्ता ने अपीलाथी के विरूद्व खाद्य पदार्थ के वितरण में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं करने के सन्दर्भ में बयान लेखबद्व करवाये गये तथा प्रस्तुत किये गये समुचित दस्तावेजात के आधार पर उक्त प्रकरण को अदम वकू तथ्यों की भूल में प्रकरण मे नकारात्मक प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा विधि विरूद्व तैयार की गई रिपोट के आधार पर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त करते हुये जो प्रतिभूति राशि जब्त करने का आदेश पारित किया गया था। ऐसा आदेश दिनांक 07.09.2020 विधि विरूद्व व एक गैर कानूनी प्रकिया के तहत तैयार की गई जांच रिपोर्ट में वर्णित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने जिस जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2020 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र व प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए निरस्त किया गया था उक्त जांच रिपोर्ट मे प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा चार ऐसे उपभोक्ताओं के सन्दर्भ में जांच रिपोर्ट तैयार की गई थी वे उपभोक्ता उपभोक्ता कानाराम पुत्र मोहन लाल(मृतक दिनांक 19.07.2016) बाबूलाल कोली पुत्र भौरी लाल (मृतक दिनांक 07.08.2014) मूलचन्द महावर पुत्र स्वर्ण (मृतक दिनांक 19.02.2018) व मोहन लाल कोली पुत्र पूराराम (मृतक दिनांक 01.05.2014) जांच रिपोर्ट तैयार किये जाते समय जीवित ही नहीं थे। इन चारों उपभोक्ताओं का पूर्व में ही निधन हो चुका था। इसके अलावा उक्त जांच रिपोर्ट जांच दल के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जारी आदेश दिनांक 18.10.2017 में वर्णित प्रावधानों विरूद्व जाकर उक्त आदेश में नियत की गई। समयावधि के गुजर जाने के पश्चात जब रेस्पोडेन्ट के समक्ष जांच दल के द्वारा पूर्व में दिनांक 23.01.2020 को ही अंतरिम रिपोर्ट अपीलार्थी के सन्दर्भ में प्रस्तुत की गई थी तो उक्त जांच रिपोर्ट को पेश होने के 90 दिवस के भीतर भीतर अपीलार्थी के सन्दर्भ में समुचित आदेश पारित किया जाना कानूनन आवश्यक था जबकि उक्त समयावधि में ना तो अपीलार्थी के विरूद्व कोई जांच रिपोर्ट पेश की गई ना ही उक्त जाच रिपोर्ट के आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा विधि अनुसार पारित किया गया था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश कानूनी प्रावधानों के विरूद्व होने से निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट के समक्ष पेश की गई जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2020 से पूर्व अंतरिम

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने के बावजूद भी उक्त रिट पीटीशन का माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारण नहीं किये जाने पर भी अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर रेस्पोडेन्ट ने उक्त अपीलगत आदेश दिनांक 07.09.2020 को नसैर्गिक सिद्वान्तों के विरूद्व जाकर पारित किया है। रेस्पोडेन्ट ने जिस जांच रिपोर्ट दिनांक 22.06.2020 के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया है उस जांच रिपोर्ट के आधार पर दायर करवाई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 282/2020 में अनुसंधान अधिकारी के द्वारा जब सारपूर्ण अनुसंधान किया गया तो जांच रिपोर्ट में अंकित किसी भी उपभोक्ता के द्वारा यह कथन लेखबद्व नहीं कराये गये है कि अपीलार्थी के द्वारा समय पर दुकान नहीं खोली जाती हो। निर्धारित स्थल पर राशन वितरण नहीं किया जाता हो। सूचना बोर्ड पर दुकान के खुलने व बंद होने व दुकान के मौजूद स्टॉक के सन्दर्भ में सूचना सूचना पटट पर कभी सूचना प्रदर्शित नहीं की गई हो। किसी भी उपभोक्ता के साथ अपीलार्थी ने अभद्र व्यवहार किया हो, वितरण में अनियमितताए बरती हो । कभी किसी उपभोक्ता को तय मानको की राशन सामग्री का वितरण नहीं किया गया हो । इसके सन्दर्भ में किसी भी उपभोक्ता ने अपीलार्थी के खिलाफ एक भी बयान लेखबद्व नहीं करवाया है, बल्कि उपभोक्ताओं ने दौराने अनुसंधान कथन विरचित किये है कि जांच रिपोर्ट में अंकित प्रवर्तन निरीक्षक व प्रवर्तन अधिकारी जांच रिपोर्ट में अंकित दिनोंकों पर कभी भी जांच करने मौके पर नहीं आये है। केवल मात्र प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं से राशन कार्ड लिया जाना उपभोक्ताओं ने दौराने अनुसंधान कथन वर्णित किया है। साथ ही सभी उपभोक्ताओं ने यह भी कथन वर्णित किये है कि बिना राशन कार्ड के पोश मशीन पर अगूंठा लगवा कर नियमानुसार रसद सामग्री अपीलार्थी से प्राप्त करते रहते है। इस प्रकार जब जांच रिपोर्ट में अंकित साभी उपभोक्तां अपीलार्थी के विरूद्व कथन ही नहीं कर रहे है तो रेस्पोडेन्ट द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाकर अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र बहाल किया जाना कानूनन आवश्यक है। अपीलार्थी का उक्त प्रकरण से पूर्व कभी कोई शिकायत उपभोक्ता व प्रवर्तन अधिकारी के द्वारा नही की गई है। उक्त प्रकरण में भी अपीलार्थी के द्वारा ऐसा कोई कृत्य आपराधिक प्रवृत्ति के तहत नहीं किया गया है। ऐसी जांच रिपोर्ट जो प्रारम्भ से ही कानूनी प्रावधानों के विरूद्व जाकर मृत उपभोक्ताओं के बयानों के आधार पर जांच दल के द्वारा अपीलार्थी से दुर्भावना के तहत तैयार की गई प्रतीत होती है। अपीलार्थी के द्वारा जब पूर्व से ही मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन होने व रेस्पोडेन्ट ठद्वारा पारित निर्णय कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपीलार्थी ने उक्त अपीलगत आदेश दिनांक 07.09.2020 के सन्दर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पुनः सिविल रिट पीटीशन संख्या

जिला कलक्टर
जयपुर

11373/2020 दायर की गई थी। जिसका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय दिनांक 02.03.2023 को मान्य न्यायालय के समक्ष नियम 22 राजस्थान खाद्य एवं आवश्यक पदार्थ वितरण आदेश 1976 के तहत उक्त अपील मान्य न्यायालय के समक्ष पेश करने के सन्दर्भ में अनुमति देते हुये निस्तारित कर दी। जिसके तहत तय समयावधि में यह अपील प्रस्तुत है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोडेन्ट के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने एवं नियमानुसार रसद सामग्री वितरण करने के लिए अधिकृत किया जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रत्यर्थी की ओर से पैरोकार रसद ने अपीलार्थी अधिवक्ता के तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत कि की अपीलार्थी डीलर द्वारा ऑन लाईन ट्रान्जेक्शन करके उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से राशन सामग्री न देकर स्वयं के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण होने वाली राशन सामग्री गेहूं 3315 कि०ग्रा०, केरोसीन 461 लीटर एवं चीनी 10 कि०ग्रा० का स्पष्ट रूप से गबन किया जाना पाया गया है। जिस बाबत अपीलार्थी डीलर ने कोई संतोषजनक जबाब नहीं दिया । अपीलार्थी डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। साथ ही सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का भी स्पष्ट उल्लघन किया गया है । जिस कारण जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी डीलर की धरोहर राशि जब्त सरकार करते हुये डीलर का प्राधिकार पत्र तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया है। जिला रसद अधिकारी द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया एवं उस पर मनन किया गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।

7. जांच कर्ताओं द्वारा अपीलार्थी पर कुल सात आरोप लगाये गये है उनमें आरोप प्रथम, दुकान पर स्टॉक एवं मूल्य तथा वितरण की मात्रा का प्रदशर्न नहीं पाया गया। आरोप द्वितीय, दुकान खुलने व बन्द होने के समय का एवं अवकाश का दिन प्रदर्शित नहीं पाया गया। आरोप तृतीय, स्वीकृत वितरण स्थल पर वितरण नहीं किया जाना पाया गया। आरोप चतुर्थ, विजय सिंह द्वारा रूकमणी देवी की उचित मूल्य दुकान की राशन सामग्री का भण्डारण एवं वितरण अपनी स्वयं की दुकान से किया जाना पाया गया। पांचवा आरोप, मौके पर रूकमणी देवी उपस्थित नहीं मिली तथा उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण स्वयं श्री विजय सिंह चोधरी द्वारा करवाया गया। छठवा आरोप, दिनांक 19.11.2019 को ग्राम दौपुर के उपभोक्ताओं ने राशन सामग्री वितरण करने के बारे में बताया कि हमारे दौपुर के नाम से राशन की दुकान खुली हुई है, लेकिन राशन डीलर श्रीमती

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

रूकमणी देवी ने कभी भी राशन की दुकान गांव में स्थापित नहीं की। दौपुर की दुकान की राशन सामग्री विजय सिंह चौधरी की उचित मूल्य दुकान टहटडा से ही वितरित की जा रही है। टहटडा दौपुर से 4–4/1/2 किमी है। हमारे राशन सामग्री लेने के लिए 4 किमी दूरी तय करनी पडती है तब जाकर टटटडा में राशन सामग्री मिलती है। राशन डीलर विजय सिंह की दौपुर की डीलर श्रीमती रूकमणी देवी की दुकान की राशन सामग्री अपनी टहटडा स्थित दुकान से वितरित करता है। श्री विजय सिंह उपभोक्ताओं से अभद्र व्यवहार करता है तथा अपनी मनमर्जी से दुकान खोलता है। टहटडा में राशन सामग्री लेने पैदल जाना पडता है। सांतवा आरोप, डीलर द्वारा आॅन लाईन ट्रान्जेक्शन करके उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से राशन सामग्री न देकर स्वयं के लाभ के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित होने वाली राशन सामग्री कुल राशन सामग्री गेहूं 3315 कि॰ग्रा॰, केरोसीन 461 लीटर व चीनी 10 कि॰ग्रा॰ का स्पष्ट रूप से गबन किये जाने का अरोप है। जिसकी पुष्टि में गबन की विस्तृत रिपोर्ट अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय की पत्रावली पर मौजूद है, परन्तु अपीलार्थी ने अपने जबाब मे कम पाये गये गेहू, डीजल व चीनी बाबत कोई युक्ति युक्त कारण नहीं बताया। अपीलार्थी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में पुलिस द्वारा एफआर दिये जाने का कथन किया है, परन्तु संबंधित मान्य सिविल न्यायालय से एफआर स्वीकृत होने के सन्दर्भ में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिए प्रार्थी का कथन मान्य नही है। अपीलार्थी केवल मात्र राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 18.10.2017 जिसमें 90 दिवस में प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने का प्रावधान है, उसका हवाला देकर अपने गबन जैसे आरोप से बचना चाहता है। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनिमयन) आदेश 1976 की शर्त संख्या 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 17 (ग) का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना व सपठित कन्ट्रोल आदेश 2001 के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया जाना स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। इसलिए जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 के द्वारा निरस्त किया जाकर समस्त धरोहर राशि 1000/—रूपये जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.09.2020 की पुष्टि की जाती है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है ।

8. निर्णय की प्रति मय मिसल मातहत जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। पत्रावली बाद तकमील फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।निर्णय

9. आज दिनांक 01.08.2023 को सरे इजलास सुना गया ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर